निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 श्रावण 1939 (श0)

(सं0 पटना 730) पटना, मंगलवार, 22 अगस्त 2017

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

22 अगस्त 2017

अधिसूचना सं0–22 / 2017–राज्य कर (दर)

एस०ओ० 135, दिनांक 22 अगस्त 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम–12) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार–राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना सं0–13 / 2017–राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, क्रम सं. 1 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द और कोष्ठक "माल वाहक अभिकरण (जीटीए)" के पश्चात शब्द और अक्षर ", जिसने 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान नहीं किया है,'' अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (घ) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

"(ड़) लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 (2009 का 6) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत "लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप" को एक पार्टनरशिप फर्म या फर्म माना जाएगा।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०–बिक्री–कर / जीएसटी / विविध / 10 / 2017—3099)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

22 अगस्त 2017

एस०ओ० 136, एस०ओ० 135, दिनांक 22 अगस्त 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध/10/2017––3099)]
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

The 22nd August 2017

Notification No. 22/2017-State Tax (Rate)

S.O. 135 dated the 22nd August 2017—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification No.13/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 of the Commercial Taxes Department, namely:-

Amendments

In the said notification,-

(i) in the Table, against serial number 1,incolumn (2), after the words and brackets "goods transport agency (GTA)" the words and figure ", who has not paid State tax at the rate of 6%," shall be inserted;

(ii) in the Explanation, afterclause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

"(e) A"Limited Liability Partnership" formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) shall also be considered as a partnership firm or a firm.".

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd of August, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/vividh-10/2017—3099)]
By order of the Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 730-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in